

66

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 4004-एक / 16 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.10.2016 पारित द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर प्रकरण क्रमांक 36 / अ-6 / 2015-16

वीरेन्द्र कुमार दुबे आ० जगदीश प्रसाद दुबे
निवासी— ग्राम चंदपुर, तहसील व
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

.....आवेदकग

१८८

1. श्रीमती मंजू दुबे पत्नि सतीश दुबे, आयु लगभग 40 वर्ष
निवासी रामवार्ड तहसील व जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
 2. श्रीमती अर्चना दुबे पत्नि श्री बसंत दुबे
निवासी— एम.पी.ई.बी. कालोनी, गाडरवारा,
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़
अनावेदक ओर से अधिवक्ता श्री आशीष शर्मा एवं अधिवक्ता श्री संजय दुबे

आदेश

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 36 / अ-6 / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा संशोधन

A handwritten signature consisting of a wavy line on the left and a looped shape on the right, resembling the letters 'J' and 'O'.

पंजी क्रमांक 7 आदेश दिनांक 15.08.2007 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जो आदेश दिनांक 13.10.2016 द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में दिन-प्रतिदिन के विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया है जबकि विलंब के आवेदन-पत्र में दिन-प्रतिदिन का कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि आदेश की नकल दिनांक 08.02.2016 को प्राप्त करने के पश्चात् अपील दिनांक 25.02.2016 को पेश की गई है। ऐसी स्थिति में विलंब माफ नहीं किया जा सकता।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा-5 के आवेदन-पत्र में आदेश की जानकारी का श्रोत पटवारी से बताया गया है, परंतु पटवारी का कोई शपथ-पत्र उक्त कथनों के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्याय दृष्टांत आर.एन.1992 पेज नं. 257(उच्च न्यायालय) एवं आर.एन.1992 पेज नं. 257 चैन सिंह बनाम म.प्र. शासन उद्धरित किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि जीवनकाल में बंटवारा करने पर संहिता की धारा – 178(क) के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही होगी। उक्त प्रावधान में स्पष्ट है कि जीवनकाल में कोई बंटवारा करता है तो सभी जीवित वारिसानों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही बंटवारा कर सकते हैं। जबकि इस प्रकरण में अनावेदकगण जो पुत्रियां हैं, उनको कोई सूचना नहीं दी गई है और पुत्रियों को सूचना दिए बिना बंटवारे की कार्यवाही की गई है जो गलत है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब से प्रस्तुत अपील में विलंब क्षमा करते हुए अवधि

विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह पाया है कि अनावेदकगण जगदीश प्रसाद की पुत्रियां होकर वे हितबद्ध पक्षकार हैं, परंतु संशोधन पंजी में उन्हें सूचना दिए जाने को कोई उल्लेख नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अभिलेख पर आधारित है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण-दोष पर किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर